

कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म०प्र० भोपाल

क्रमांक एफ.०७/२००३/१०.०६/निस्तार/४३५३

भोपाल, दिनांक १९-११-२००३

प्रति,

समस्त वन संरक्षक

मध्यप्रदेश

विषय:- निस्तारी जलाऊ चट्टे की बिक्री दर के संबंध में ।

----०----

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय का पत्र क्रमांक ५७५ दिनांक ०५.०२.१९९९ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. के पत्र क्रमांक/निस्तार/२९५२ दिनांक १९.०६.२००१ एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक निस्तार/१०४१ दिनांक १३.०३.२००३ का अवलोकन करें । निस्तार में जलाऊ चट्टे सुरक्षा समिति के द्वारा प्रदाय करने पर जलाऊ लकड़ी की रायल्टी मुक्त कर दी गई है इसमें सिर्फ कटाई, परिवहन एवं पर्यवेक्षण शुल्क जोड़कर निस्तार दर निर्धारित की जाती है ।

जहाँ निस्तार में जलाऊ चट्टे सीधे ग्रामीणों को दिये जाते हैं, वहाँ रुपये २५/- रायल्टी तथा कटाई( परिवहन एवं पर्यवेक्षण शुल्क जोड़कर निस्तार दर निर्धारित की जाना है । सामान्यतः यह गणना रुपये १००.०० से कम ही परिगणित होनी चाहिए ।

कृपया शासन एवं इस कार्यालय के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही जलाऊ चट्टे की निस्तार दर निर्धारित की जावे ।

हस्ता.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

म०प्र० भोपाल

प्रारूप अपर प्र.मु.व.सं (उत्पादन)

द्वारा अनुमोदित

विषय:- वनों से 5 कि.मी. एवं बाहर की परिधि के ग्रामीणों को सुविधा एवं बसोड़ों को पूर्ण वर्ष हरा बांस उपलब्ध कराये जाने बाबत ।

माननीय वनमंत्री जी द्वारा उपरोक्त दोनो विषयों में व्यवस्था बनाने के लिये प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये थे । इस सम्बन्ध में वनों से 5 कि.मी. की परिधि के ग्रामीणों को वर्तमान में निस्तार सुविधा के अंतर्गत जलाऊ लकड़ी प्रदाय करने की व्यवस्था की गयी है, परन्तु 5 कि.मी. से दूर जो ग्रामीण अथवा कुम्हार समुदाय आदि निवास करते हैं, उन्हें जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान में निम्न व्यवस्था है:-

स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा मांग किये जाने पर अग्रिम रूप से पैसा पटाने के बाद बाजार दर पर जलाऊ लकड़ी ग्रामीणों को उपलब्ध करायी जायेगी । पंचायत चाहे तो इसके लिये फुटकर विक्रेता की नियुक्ति कर सकती है, परन्तु इस प्रावधान का वास्तविक उपयोग इसलिये नहीं हो पा रहा है कि विभिन्न वनमण्डलों में जलाऊ लकड़ी की बाजार दरें काफी अधिक निर्धारित हुई हैं ।

(परिशिष्ट-1)

पंचायत द्वारा अग्रिम रूप से पैसा पटाकर जलाऊ लकड़ी उठाने के लिये कोई इच्छा व्यक्त नहीं की गई है । फलस्वरूप विगत वर्षों में केवल शमशान घाटों के लिये आवश्यक व्यवस्था तक ही जलाऊ लकड़ी का प्रदाय सीमित रहा है ।

प्रदेश में लगभग 3,50,000/- जलाऊ चट्टे वार्षिक उत्पादित होते हैं । इनमें से 5 कि.मी. के अंदर के ग्रामीणों को निस्तार पूर्ति के माध्यम से जो परिदान होता है वह 35000 (मात्र 10 प्रतिशत) चट्टों के आसपास ही है । इस प्रकार एक ओर उत्पादित जलाऊ चट्टों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, दूसरी ओर 5 कि.मी. के परिधि के ग्रामीणों को ऐसे जलाऊ चट्टे प्राप्त करने के लिये बहुत प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है ।

जलाऊ लकड़ी की बाजार दर निर्धारण करने के सम्बन्ध में जो निर्देश है, उससे बाजार दर के आधार पर अथवा लागत मूल्य के आधार पर जो भी अधिक हो दर निर्धारित करने के निर्देश है । कुछ जिलों में बाजार दर निर्धारण हेतु कलेक्टर (खाद्य शाखा) से जानकारी प्राप्त कर के बाजार दर का निर्धारण किया जा रहा है । पूर्व में जब वन विभाग द्वारा जलाऊ लकड़ी न्यूक्लियस डिपो के माध्यम से खाद्य विभाग द्वारा नियुक्त फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध करायी जाती थी तब कलेक्टर से बाजार दर पूछने के निर्देश थे । नवीन निस्तार नीति में वन विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में जलाऊ लकड़ी प्रदाय करने का प्रावधान नहीं रखा गया है । अतः कलेक्टर से पूछकर बाजार दर का कोई औचित्य नहीं बनता । वस्तुतः वन विभाग द्वारा जलाऊ लकड़ी न्यूक्लियस डिपो अथवा मुख्य डिपो से जिस दर पर बेची जा रही हैं, वही बाजार दर है । अतः इसी के अनुसार बाजार दर का निर्धारण किया जा सकता है अथवा वन विभाग के न्यूक्लियस डिपो से जलाऊ लकड़ी काफी कम मूल्य पर 5 कि.मी. की परिधि के बाहर के ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा सकती है । विगत एक वर्ष से समस्त जलाऊ लकड़ी वनों से 20 कि.मी. के अन्दर न्यूक्लियस डिपो स्थापित करके निर्वर्तन की जा रही है । इसके फलस्वरूप वन विभाग का लागत मूल्य परिवहन मूल्य कम होने के कारण पहले की अपेक्षा कम हो रहा है । एसी जलाऊ लकड़ी के विक्रय की जो दरें प्राप्त हुई हैं वह परिशिष्ट-2 में दर्शायी गई हैं । प्रस्ताव यह है कि वन विभाग के न्यूक्लियस डिपो में विगत 12 महीने में निर्धारित जलाऊ चट्टों की भारित औसत दर के आधार पर 5 कि.मी. के बाहर के समस्त ग्रामीणों, कुम्हार समुदाय एवं अन्य उपभोक्ता को जलाऊ लकड़ी उपलब्ध करायी जा सकती है । वे न्यूक्लियस डिपो से सीधे परिदान प्राप्त करके अपने साधन से परिवहन करायेंगे । इस दर पर ग्राम पंचायत से प्रमाण पत्र कर कुम्हार, ढाबे वाले आदि निर्धारित मूल्य पर नीलाम में भाग लिये बिना जलाऊ लकड़ी प्राप्त कर सकेंगे । शासन द्वारा दी गयी सुविधा का दुरुपयोग रोकने के लिये इन डिपो से जलाऊ लकड़ी के प्रदाय हेतु कुछ प्रतिबंध लगाया जाना प्रस्तावित है ।

(1) विक्रय डिपो से जलाऊ चट्टों का प्रदाय सप्ताह में कुछ (एक या दो) निर्धारित दिनों में ही किया जाए ।

(2) जिस उद्देश्य के लिये एवं जिस स्थान के लिये जलाऊ लकड़ी प्रदाय की गई है, जलाऊ लकड़ी का परिवहन अनुमति उसी स्थल एवं उद्देश्य हेतु उपयोग किये जाने या विक्रय किये जाने पर प्रदाय अवैध माना जाकर लकड़ी जप्ती कर राजसात की जायेगी ।

(3) इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त जलाऊ लकड़ी के उपयोग के लिये समय सीमा भी निर्धारित करना होगी । इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त जलाऊ लकड़ी का उपयोग एक माह के अंदर करना होगा । एक माह के पश्चात् इस प्रक्रिया के

विषय:- वनों से 5 कि.मी. एवं बाहर की परिधि के ग्रामीणों को सुविधा एवं बसोड़ों को पूर्ण वर्ष हरा बांस उपलब्ध कराये जाने बाबत् ।

पूर्व पृष्ठ के ओगे:-

अन्तर्गत उस जलाऊ लकड़ी का अस्तित्व स्वयं ही समाप्त हो जायेगा एवं एक माह के पश्चात् इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त की गयी लकड़ी को अवशेष नहीं दर्शाया जा सकेगा ।

उपरोक्तानुसार प्रस्ताव पर विचार कर शासन निर्णय लेने का अनुरोध है ।

बसोड़ों को हरा बांस उपलब्ध कराया जाना- विभागीय कूपों से बांस की कटाई 15 अक्टूबर से 15 फरवरी के मध्य की जाती है एवं इसी अवधि में बांस कटाई नियमों के अनुसार काटा गया बांस बसोड़ों को उपलब्ध कराया जा रहा है । बांसों के वैज्ञानिक प्रबंधन की दृष्टि से बांस कूपों की कटाई पूरे वर्ष की जाना संभव नहीं है । अतः वन विभाग के द्वारा पूरे वर्ष हरे बांस उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगें । इस अवधि में काटे गसे बांसों को 16 फरवरी से 15 अक्टूबर के मध्य बसोड़ों को उपलब्ध करा दिया जाता है, परन्तु पानी गिर जाने के पश्चात् बसोड़ इस बांसों को लेने में रुचि नहीं लेते हैं । वर्ष भर बसोड़ों को हरा बांस किसानों की मेढों पर उगाये गये बांस भिरी से प्राप्त हो सकते हैं । शासन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि निजी भूमि पर लगे हुये बांस भिरी में कटाई करने के लिये कलेक्टर अथवा किसी भी अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता न हो, बशर्ते कि बांस भिरी का निःशेष पातन नहीं किया जाये । अतः इस संबंध में विभाग के द्वारा प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार सुमचित कार्यवाही की जा रही है ।

उपरोक्त विषय में निर्णय लेने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सकता है

हस्ता.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

परिशिष्ट-एक

वन क्षेत्र से 5 कि.मी. से अधिक दूरी के ग्रामों/शहरी क्षेत्रों के लिये वर्ष 2004 में जलाऊ चट्टों की विक्रय हेतु स्वीकृत दर

क्रमांक	वन वृत्त	वनमण्डल का नाम	शमशान घाट हे शहरी क्षेत्र हेतु प्रदाय दर	शहरी क्षेत्र से प्रदाय प्रति चट्टा
1	भोपाल	भोपाल	6.31	790
		सीहोर	631	585
		विदिशा	468	
2	बैतूल	उत्तर बैतूल	600	
		दक्षिण बैतूल	600	
		पश्चिम बैतूल	600	
3	बालाघाट	उ. बालाघाट	480	569
		द. बालाघाट	480	569
4	छतरपुर	उत्तर पन्ना	600	600
		दक्षिण पन्ना	600	600
		छतरपुर	700	
5	सिवनी	उ. सिवनी	296	
6	जबलपुर	जबलपुर सा.		425
		डिण्डोरी सा.		340
		कटनी सा.	340	425
		पू.मण्डला	340	550
		प.मण्डला		550
		बफर जोन मंडला		550
7	शहडोल	उत्तर शहडोल	405	
		उमरिया	405	
8	होशंगाबाद	होशंगाबाद	310	310
		हरदा	228	228
9	इन्दौर	धार	550	
10	उज्जैन	नीमच		140
		शाजापुर	600	100
11	ग्वालियर	ग्वालियर	665	665
		दतिया	550	
		भिण्ड	550	

परिशिष्ट-2

जलाऊ चट्टों के औसत विक्रय मूल्य का विवरण

वनमण्डल का नाम	कष्ठागार का नाम	नीलाम दिनांक	औसत दर प्रति चट्टा
1	2	3	4
द. नर्मदा उत्पादन	आशापुर	11/02 to 09/03	225
	बलड़ी	03/03 to 07/03	241
	सक्तापुर	03/03 to 07/03	253
	हरसूद	12/02 to 09/03	251
देवास उत्पादन	खारिया	02/03 to 12/03	309
	किटखेड़ी	01/03 to 09/03	283
	निमलाय	02/03 to 12/03	292
जबलपुर सामा.	गोसलपुर	02/03 to 06/03	229